न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल महोदय , ग्वालियर

केम्प उज्जैन , मध्यप्रदेश R 1044-PBR-17

प्रकरण कमांक –

देवीबाई पति नारायणदास जी होतवानी

निवासी 96– राजस्व कालोनी नीमच ————————पुनरीक्षणकर्ता

विरूद्ध

1–_अधिक्षक भू–अभिलेख एवं राजस्व निरिक्षक

नीमच जिला नीमच मध्यप्रदेश

2–मांगीबाई पति गोपीकिशन जाट

निवासी चुडी गली , नीमच केन्ट ————————विपक्षीगण

अधिनस्थ न्यायालय श्रीमान् अधिक्षक भू–अभिलेख के द्वारा किये गये सीमांकन एवं पंचनामा कार्यवाही के विरूद्ध पुनरिक्षण आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 50 मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता

मान्यवर महोदय ,

सेवा में पुनरीक्षण/आवेदिका की ओर से सादर प्रार्थना है कि :–

प्रकरण के तथ्य

1–यह कि आवेदिका /पुनरिक्षणकर्ता के स्वामित्व एवं आधिपत्य की भूमि सर्वे कमांक 986/2 रकबा 0.042 हैक्टर तथा 987/2 रकबा 0.053 हैक्टर तथा 988/2 रकबा 1.004 हैक्टर की भूमि स्थित है। जिस भूमि का बन्दोबस्त के बाद आवेदिका की जानकारी के बिना नया सर्वे नम्बर 1136 होना बताया गया है।

2–यह कि आवेदिका के पडौसी काश्तकार मांगीबाई की भूमि सर्वे कमांक 986/1 रकबा 0.042 हैक्टर तथा 987/1 रकबा 0.052 हैक्टर तथा सर्वे कमांक 988/1 रकबा 1.003 हैक्टर जिसका कि नया नम्बर 1126 व 1135 बनाना बताया गया है स्थित है।

3–यह कि विपक्षी कमांक 2 ने तहसीलदार नीमच के समक्ष सीमांकन हेतु आवेदन पेश किया जिनके आदेष दिनांक 28.11.2016 के पालन में राजस्व निरिक्षण , भू–अभिलेख के द्वारा दिनांक 27.12.2016 को मोके पर पंचनामा

XXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - निगरानी-1044-पीबीआर/17 **जिला** - नीमच

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
26.10.2018	आवेदक की ओर से, अधिवक्ता श्री कैलाश जोशी उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी अधीक्षक भू-अभिलेख के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत अधीक्षक भू-अभिलेख द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 3-1-19 को कलेक्टर, जिला नीमच के समक्ष उपस्थित हों। **प्रशासकीय सदस्य**	